औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी एवं कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के छात्र कल्याण निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2014 से 3/2015

भाग—एक

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित बकाया पैरों के निपटारे हेतु संस्थान द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान करने के पश्चात अंकेक्षण अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति निम्नानुसार हैः—

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा संख्या 3	निर्णीत
2	पैरा संख्या 5	निर्णीत
3	पैरा संख्या 6	निर्णीत
4	पैरा संख्या 7	अनिर्णीत

2. वर्तमान अंकेक्षण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी एवं कुल्लू, जिला कुल्लू के छात्र कल्याण निधि लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2015 तक का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं। श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 23.1.2016 से 28.1.2016 तक शमशी में किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 7/2014 व व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 8/2014 का चयन किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्थान द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है। संस्थान द्वारा प्रदत्त किसी अभिलेख/सूचना के गलत या सूचना जो उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

अंकेक्षण अवधि में श्री सुनील शर्मा संस्थान के आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे।

3. अंकेक्षण शुल्क :—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी एवं कुल्लू के छात्र कल्याण निधि लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2015 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹3000 आंका गया, जिसे अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2016—16, दिनांक 29.1.2016 द्वारा निदेशक, स्थानीय

लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–9 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया। संस्थान द्वारा उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट संख्याः 699425, दिनांक 4.2.2016 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दी है।

4. वित्तीय स्थिति :–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी एवं कुल्लू, जिला कुल्लू में छात्रों से प्राप्त सभी शुल्क व निधियों को छात्रावास शुल्क सहित एक ही रोकड़ वही में दर्ज किया जा रहा है तथा समस्त प्राप्त आय को बैंक जमा खाता संख्या 20130031372 में जमा करवाया जा रहा है। संस्थान की रोकड़ वही व बैंक जमा खाता संख्या 20130031372 के अनुसार अवधि 4/2014 से 3/2015 तक की संयुक्त वित्तीय स्थिति नियमानुसार है, जिसका विस्तृत वर्णन **परिशिष्टि–"क–I"** से **"क–II"** पर दर्शाया गया है।

Year	Openning ₹	Income ₹	Intt. ₹	Total ₹	Exp. ₹	Closing ₹
2014–15	8096948	1919280	644391	10660619	1633149	9027470
(1) Bank A/c No. 20130031372						₹1027470
(2) FDR's						₹8000000
					Total	**₹9027470**

5. संस्थान प्रतिभूति रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शमशी एवं कुल्लू, जिला कुल्लू द्वारा संस्थान प्रतिभूति ₹500 प्रति छात्र व छात्रावास प्रतिभूति ₹600 प्रति छात्र की राशि विद्यार्थियों से वसूल तो की जा रही है, परन्तु संस्थान प्रतिभूति से सम्बन्धित रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है। प्रतिभूति की राशि विद्यार्थियों को छात्रावास/संस्थान छोड़ने के पश्चात एक वर्ष के अन्दर–अन्दर वापिस प्राप्त करनी होती है तथा इस अवधि के पश्चात प्रतिभूति की राशि को जब्त करके विद्यार्थी डलेल्पमेंट फण्ड में जमा करवाने का प्रावधान है। अतः तुरन्त प्रभाव से अपेक्षित रजिस्टर का रख–रखाव करते हुए अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त प्रतिभूति राशियों का ईन्द्राज किया जाए व छात्रों से छात्रवार प्रतिभूति की प्राप्ति/वापसी व जब्त प्रतिभूतियों इत्यादि से सम्बन्धित ईन्द्राज उक्त रजिस्टर में किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

6. अग्रिम (Advance) राशि ₹10000 का समायोजन न करने बारे :–

संस्थान के एडवांस रजिस्टर पृष्ठ संख्या 73 की जांच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा लड़कियों की खेलकूद प्रतियोगिता के खर्च हेतु श्री जनक राज को ₹10000 की अग्रिम राशि दिनांक 22.11.2014 को प्रदान की गई, परन्तु इस राशि का समायोजन (Adjustment) अभी तक

नहीं करवाया गया है। अतः इस राशि के व्यय वाउचर प्राप्त करके अग्रिम राशि का समायोजन करवाकर, अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

7. क्रय की गई वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टियां अनुचित रूप से करना :–

संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से क्रय वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में अलग–अलग खाते तैयार करके दर्ज नहीं किया गया, बल्कि एक ही पन्ने पर विभिन्न वस्तुओं की प्रविष्टियां की गई है, जोकि इस सन्दर्भ में विहित प्रक्रियानुसार अनुचित है। अतः प्रत्येक मद का पृथक–पृथक खाता पृथक–पृथक पन्नों पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह सुगमता से ज्ञात हो सके कि संस्थान के पास अमुक तिथि को अमुक वस्तु की कितनी प्रमात्रा शेष थी/है।

8. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

9. निष्कर्ष :– संस्थान के स्टॉक रजिस्टरों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन सं0 :फिन(एल0ए0)सी(15)(xi)(iii)-87/1987 खण्ड–1–2612–2613 दिनांक11.05. 2016, शिमला–9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, तकनीकि शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, हि0प्र0।

पंजीकृत 2 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी एवं कुल्लू, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.